तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (नियमों का अनुरूपण) विनियिम, 1979

सा0का0नि0 97 (असा0) : महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 एवं 134 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं , अर्थात् :–

1 **लघु शीर्ष एवं प्रारंभ :**

(1) ये विनियम तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (नियमों का अनुरूपण) विनियिम, 1979 कहे जाएं।

(2) ये अप्रैल, 1979 के महीने की पहली तारीख से लागू होगें।

2 **उपयोग :** ये तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास को लागू होगें।

3 **परिभाषा :** इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो :–

ए) ''अधिनियम'' का तात्पर्य है, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ;

बी) ''नियत दिवस'' का तात्पर्य है, तारीख जब यह अधिनियम तूत्तुक्कुडि पत्तन को लागू हुआ;

सी) ''बोर्ड'' का तात्पर्य है, अधिनियम में उसके लिए दी गई परिभाषा;

डी) ''अद्यतन नियम एवं आदेश'' का तात्पर्य है, पत्तन के प्रशासन के सिलसिले में, नियत तारीख से पहले के लागू विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के अधीन बनाए गए नियम तथा आदेश;

ई) ''पत्तन'' का तात्पर्य है, तूत्तुक्कुडि पत्तन ।

4 **अद्यतन नियम कायम रहना :** अद्यतन के नियम एवं ओदश तथा निम्नलिखित मामलों से संबंधी नियत तारीख के बाद या उस दिन बनाए गए बाद के संशोधन, इस हद तक बनाए गए हैं कि वे अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत के किसी भी नियमों के साथ असंगत नहीं हैं और जब तक कि वे बदले या निरस्त या बोर्ड द्वारा संशोधित नहीं किए जाते, तब तक जारी रहेंगे जैसे कि वे अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए थे , अर्थात् :–

i) अधिनियम की धारा 28 के अधीन विनिर्दिष्ट मामलें, और

ii) अधिनियम की धारा 124 के खंड (बी) एवं खंड (ई) से (एन) तक में विनिर्दिष्ट मामलें,

बशर्ते कि अद्यतन के नियमों एवं आदेशों में के उपरोक्त कोई भी संशोधन, किसी भी कर्मचारी को लाभप्रद नहीं हैं, तो ऐसे कर्मचारी को वे लागू नहीं होगें, जब तक कि बोर्ड, केन्द्र सरकार के पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं कर लेता।

5 **आवती का प्रारूपः** अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (2) के अनुसरण में दी जाने वाली आवती को जहाँ तक व्यवहार्य हो सके, इन विनियमों के अनुलग्नक में निहितानुसार के स्वरूप में होना है।

6 **सूचना की अवधि :** घाटा या क्षति की सूचना देने की अवधि तो अधिनियम की धारा 43 की उप धारा (2) के तहत होनी चाहिए और तो और अधिनियम की उप धारा (2) के अधीन ऐसे मालों का स्वामित्व लेने के तारीख से सात कार्य दिवसों के अंदर होना चाहिए।

7 **दायित्व की अवधि :** ऐसे मालों के मामलों में, बोर्ड द्वारा स्वामित्व लेने की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के बाद, अधिनियम की धारा 43 के तहत बोर्ड को किसी प्रकार का दायित्व नहीं जोडा जाएगा।

स्पष्टीकरण :– इस विनियम या विनियम 6 में संदर्भित सात कार्य दिवसों की अवधि की गणना के लिए, मालों का स्वामित्व लेने की तारीख को गणना में नहीं लिया जाएगा।

अनुलग्नक
(विनियम 5 को देखें)

खाता सं0 .... क्र0 सं0 ....
गेंग नंबर .... मेस्त्री .... द्वारा कार्गो की सम्हलाई की गई।

तूत्तुक्कुडि पत्तन
आयात कार्गो के लिए आवती

खाता सं0 ....
बोट नोट नंबर .... दिनांक ....

.... को बोट से लादान / सीधे उतराई शिफ्ट I
II
III

बोट नंबर .... से प्रवेश करने का समय ....
कार्गो का टेली . एक्स एसएस .... मेसर्स .... एजेन्ट
एमवी .... पर

बर्थ I , II , III , IV / मूरिंग

डेरिक नंबर .... द्वारा हेच नंबर .... पर शुरूआत समय ....
समापन समय ....

सामग्री एवं सामग्री की स्थिति अज्ञात

स्लिंग नंबर	स्लिंग्स लेन्डेड	स्लिंग्स क्लीयर्ड	कार्गो क्लीयर्ड	पेकेज़ का विवरण	मार्कस एवं नंबर	टेली का विवरण	कुल	वेइट सीडबल्यूटी क्यूआर एलबीएस टोआर किलो	टिप्पणी
	का समय								

टेली पृष्ठ की प्रति प्राप्त की गई

....

एजेन्ट प्रतिनिधि पत्तन टाली क्लर्क

....